लिंग असमानता में कानून एवं राज्य की भूमिका (Role of Law and State in Gendered Inequalities)

लिंग असमानता की चुनौतियों में कानून एवं राज्य लिंग असमानता को कम करने के लिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। यदि कानून लिंग असमानता में संलग्न लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्यवाही करता है और दोषियों को तत्काल सजा देता है तो उस राज्य में लिंग असमानता कम पायी जाती है।

कानून एवं राज्य निम्न प्रकार से लिंग असमानता को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है —

(1) राज्य, कानून का प्रयोग करके भ्रूण हत्या तथा महिला शोषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(2) राज्य नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है।

(3) विभिन्न विज्ञापनों तथा प्रचार साधनों के द्वारा लोगों में लिंग असमानता के प्रति जन-जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।

(4) राज्य महिला सशक्तीकरण लाने के लिए महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क कर सकता है।

राज्य तथा कानून की लैंगिक समानता हेतु शिक्षा की भूमिका
Role of Education for Gender Equality of State and Law

राज्य तथा कानून की चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा की भूमिका निम्नवत् है —

(1) छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
(2) छात्रावासों की व्यवस्था करना।
(3) शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना।
(4) धारा 45 के द्वारा 6 से 14 की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
(5) पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचि तथा आवश्यकतानुसार विषयों का समावेश।

Page :

Date :

चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में कानून की प्रभाविता हेतु सुझाव-

Suggestions for Influecing Law in Challenging Gender Equality of education

राज्य और कानून की लिंग समानता में प्रभाविता हेतु निम्नलिखित सुझाव है —

(1) राज्य को कानून का पालन सख्ती से कराना चाहिए। इससे महिला समानता तथा शिक्षा के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, वे वास्तविकता की धरातल में आ जायेंगे।

(2) राज्य सरकारों को चाहिए कि वह महिला आयोगों को और भी सशक्त बनाएँ।

(3) राज्य तथा कानून को लैंगिक समानता के लिए पर्याप्त उपबन्ध करने चाहिए और समय-समय पर उनका पालन प्रभावी रूप से कराने के लिए कानून की समीक्षा करनी चाहिए।

(4) राज्य को लिंग समानता के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता समुचित रूप से

Date :

प्रदान करें जिससे इनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जा सके।

लड़कियों की शिक्षा में बाधक कारक →

भारत में अभी तक लड़कियों का बहुत बड़ा प्रतिशत प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ने नहीं जाता, इसके कई महत्वपूर्ण कारण बताये जाते है।

(1) गाँवो और शहरी गन्दि बस्तियों के अधिकतर माता-पिता बहुत निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग (Lower Social class) के लोग होते हैं। जो अपने बच्चों को पाठशालाओं में जो भी थोड़ी सी फीस है वो प्रतिमाह नही देपाते है।

(2) निर्धन परिवारों के लोग — (विशेषकर निम्न जातियों/अनुसूचित जातियों और जनजातियों) माध्यम और उच्च वर्गों के घरों में अपनी छोटी-२ बच्चियों (7-8 वर्ष से ऊपर की आयु की) को नौकरानी का काम - सफाई कपड़े धोने, खाना बनाने आदि को करने

के लिए रोज कमाई के लिए भेज देते हैं आर्थिक विवशता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।

(3) यद्यपि कानून व्यवस्था के अनुसार अब तक 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह शैशव कानूनी माना जाता है। तथापि अभी हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में एक मामले में एक चौंका देने वाला निर्णय दे दिया है कि 15 वर्ष से अधिक की लड़की का विवाह अवैध नहीं माना जा सकता यदि लड़की ने अपनी सहमति से ऐसा कर लिया हो। कई संस्थाएँ व महत्वपूर्ण व्यक्ति इस निर्णय के विरोध में कानूनी कार्यवाही करने का प्रयास करने वाले हैं।